

रह टिकटों से रेलवे ने 1,536 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए

इंदौर, 12 जुलाई (भाषा)।

रेलवे को यात्री टिकटों की बिक्री के साथ ही टिकट निरस्त किए जाने से भी मोटी कमाई हो रही है। सूचना के अधिकार (आरटीआइ) से पता चला है कि वित्त वर्ष 2018-19 में टिकट रह किए जाने के बदले यात्रियों से वसूले गए प्रभार से रेलवे के खजाने में लगभग 1,536.85 करोड़ रुपए जमा हुए। मध्यप्रदेश के नीमच निवासी आरटीआइ कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने शुक्रवार को बताया कि उन्हें रेल मंत्रालय के रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआइएस) से अलग-अलग अर्जियों पर यह जानकारी मिली है।

आरटीआइ आवेदन में पूछे गए सवालों के जवाब के मुताबिक रेलवे ने आरक्षित टिकटों के निरस्तरीकरण से 1,518.62 करोड़ रुपए कमाए। अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (यूटीएस) के तहत बुक यात्री टिकटों को रह कराए जाने से रेलवे ने 18.23 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया। गौड़ ने अपनी आरटीआइ अर्जी में रेलवे से यह भी जानना चाहा था कि क्या टिकट रह करने के बदले यात्रियों से वसूले जाने वाले शुल्क को घटाने के किसी प्रस्ताव पर

सुरक्षा चूक को लेकर इंडिगो एअरलाइन के चार अधिकारियों को नोटिस

नई दिल्ली, 12 जुलाई (भाषा)।

डीजीसीए ने सुरक्षा चूक को लेकर इंडिगो एअरलाइन के चार वरिष्ठ अधिकारियों को शुक्रवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। घटनाक्रम से करीबी तौर पर जुड़े सूत्रों के मुताबिक डीजीसीए की एक विशेष ऑडिट टीम ने एअरलाइन की बही-खातों की अपनी जांच में सुरक्षा चूक पाई, जिसके बाद यह कदम उठाया गया।

सूत्रों ने बताया कि नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने गुडगांव स्थित इंडिगो के कार्यालय में आठ और नौ जुलाई को ऑडिट किया। एक सूत्र ने बताया कि इंडिगो के इन चार अधिकारियों को शुक्रवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

विचार किया जा रहा है? आरटीआइ कार्यकर्ता ने कहा,



एनएचपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन: L40101HR1975GOI032564

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003
फोन: 0129-2250437, फैक्स: 0129-2278018
वेबसाइट: www.nhpcindia.com | ई-मेल: investorcellnhpc@gmail.com

सूचना

कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अन्तरण

यथा संशोधित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अन्तरण और धन वापसी) नियम 2016 ("आईईपीएफ नियम") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के ("अधिनियम"), की धारा 124(6) के उपबन्धों के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि जिन शेयरों के सम्बन्ध में लगातार सात या उससे अधिक वर्षों से लाभांश की अदायगी नहीं की गई है या शेयर धारकों द्वारा दावा नहीं किया गया है, उन्हें कम्पनी द्वारा आईईपीएफ में अन्तरित कर दिया जाएगा।

आईईपीएफ नियम में यथा निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसारण में कम्पनी ने दिनांक 19 जून, 2019 के अपने पत्र के माध्यम से सम्बन्धित शेयर धारकों, जिनके शेयर वित्तीय वर्ष 2019-20 में आईईपीएफ में अन्तरण के लिए देय हो चुके हैं, को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर सूचित किया है कि वे अपने अदावाकृत / अप्रदत्त लाभांशों के लिए दावा प्रस्तुत करें। ऐसे शेयर धारकों से सम्बन्धित विवरण http://www.nhpcindia.com/writersaddata/images/pdf/Website%20Upload-Due%20for%20transfer-FY2019-20_IFA_201907_1.pdf लिंक के अन्तर्गत कम्पनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com में अपलोड किए गए हैं। कम्पनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर डाले गए विवरण को शेयरों का आईईपीएफ में अन्तरण के सम्बन्ध में पर्याप्त नोटिस माना जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि अधिनियम और आईईपीएफ नियम के उपबन्धों के अनुसारण में ऐसे शेयरों पर मिलने वाले सभी लाभ अर्थात् लाभांश, बोनस शेयर आदि को भी आईईपीएफ में अन्तरित किया जाएगा।

जिन शेयरों के लिए अक्टूबर, 2018 तक लगातार सात या इससे अधिक वर्षों तक लाभांश अदावाकृत या अप्रदत्त रहा है, उन्हें आईईपीएफ प्राधिकरण में पहले ही अन्तरित किया जा चुका है। ऐसे शेयर धारकों का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर उपलब्ध है।

शेयर धारकों को सलाह दी जाती है कि वे वर्ष 2011-12 से लेकर अब तक के वर्षों के लिए अदावाकृत लाभांश का दावा प्रस्तुत करने के लिए अपना खाता संख्या या फोनियो नम्बर का उल्लेख करते हुए कार्बी फ़िनटेक प्राइवेट लि., कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट को एक औपचारिक पत्र लिखें जिसके साथ पैनाकार्ड की स्व प्रमाणित प्रति और पते का प्रमाण भी भेजें। यदि कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट को 16 अक्टूबर, 2019 या ऐसी अन्य तारीख, जो आगे बढ़ाई जा सकती है, तक सम्बन्धित शेयर धारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती तो कम्पनी आईईपीएफ नियम में दी गई प्रक्रिया के अनुसार बिना अन्य सूचना दिए शेयरों को आईईपीएफ में अन्तरित करने की कार्यवाही आरम्भ कर देगी।

शेयर धारक कृपया नोट करें कि आईईपीएफ नियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद आईईपीएफ में अन्तरित किए गए शेयरों और अदावाकृत राशियों के लिए आईईपीएफ से इन्हें वापस लेने का दावा किया जा सकता है। कृपया नोट करें कि उक्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार आईईपीएफ में अन्तरित की गई अदावाकृत राशि और शेयरों के सम्बन्ध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

इस विषय पर किसी भी प्रश्न अथवा स्पष्टीकरण के लिए शेयर धारक निम्नलिखित पतों पर सम्पर्क करें:

एनएचपीसी लिमिटेड
एनएचपीसी कार्यालय कॉम्प्लेक्स
सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003
टेलिफोन: 0129-2250437
फैक्स नं. 0129-2278018
ई-मेल: investorcellnhpc@gmail.com

कार्बी फ़िनटेक प्राइवेट लि.,
श्री एस. वी. राजू/श्री बालाजी रेड्डी
कार्बी सेलेनियम टावर-बी,
प्लॉट नं. 31 व 32
गाचीबोअली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट
नानाकरमगुडा, सेरिलिंगमपैल्ली
हैदराबाद-500032
टेलिफोन: 040-67162222
फैक्स नं. 040-23420814
ई-मेल: einward.ris@karvy.com

एनएचपीसी लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से

दिनांक: 11.07.2019
स्थान: फरीदाबाद

ह/
(विजय गुप्ता)
कम्पनी सचिव

PUBLIC AN (Under Regulation 6 of the Insol (Insolvency Resolution Process for FOR THE ATTENTION GAURSONS SPORTS	
RELEVANT	
1	Name of corporate debtor
2	Date of incorporation of corporate debtor
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered
4	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor
6	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor.
7	Estimated date of closure of insolvency resolution process
8	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional
9	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board
10	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional
11	Last date for submission of claim
12	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional.
13	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)
14	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives are available at:

Notice is hereby given that the National commencement of a corporate insolvency SPORTSWOOD PRIVATE LIMITED on 10 SPORTSWOOD PRIVATE LIMITED, are with proof on or before 25th July, PROFESSIONAL (IRP) at the address mentioned. The financial creditors shall submit their claims and creditors may submit the claims with proof in p A financial creditor belonging to a class, indicate its choice of authorised representative professionals listed against entry No. 13 to of the home buyer class - Financial Creditors. The submission of claims is to be made Insolvency and Bankruptcy Board of India (Corporate Persons) Regulations, 2016. The following specified forms along with documents: Form B: Claim by Operational Creditors Form C: Claim by Financial Creditors. Form CA: Claim by Financial Creditors in a Form D: Claim by workmen or an employee Form E: Claim submitted by an authorized Form F: Claim by Creditors (other than Financial Submission of false or misleading proofs of

Date: 11/07/2019
Place: New Delhi Regn. No: IB